पत्र संख्या–11/आ.2–आ.नी.–09/2008का 5479/

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 10-नवम्बर–2009

विषय :– 'खरवार' जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार 'खरवार' जाति सम्पूर्ण बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं । एतद् संबंधी सूची कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–225 दिनांक 16.01.07 द्वारा परिचारित की जा चुकी है ।

विभिन्न स्रोतों यथा राज भवन सचिवालय, मुख्य मंत्री सचिवालय, जनता दरबार, जन शिकायत आदि के माध्यम से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि 'खरवार' जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । इसके निदान हेतु लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

विदित हो कि इस संदर्भ में विभागीय परिपत्र संख्या–101 दिनांक 19.02.1980, परिपत्र सं. 118 दिनांक 17.06.1988 एवं पत्रांक–46 दिनांक 26.03.1996 द्वारा भी समय–समय–पर निदेश दिये जाते रहे हैं । अतः वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित तथ्यों के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय :–

(क) राजस्व अभिलेख ।

(ख) 'खरवार' जाति के भूमिहीन सदस्यों के संबंध में पंचायत स्तर या प्रखण्ड स्तर पर ऐसे अभिलेख, जिसमें जाति का उल्लेख किया जाता है ।

(ग) जाँच के क्रम में ऐसे पुराने अभिलेख, जो भूमि अथवा मकान से संबंधित हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जा सकता है ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र संख्या–173 दिनांक 09.11.1996 एवं परिपत्र संख्या–105 दिनांक 16.03.2002 में निहित निदेशानुसार संबंधित आवेदकों को नियमानुसार एक माह के अन्दर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है । साथ–ही–साथ जाति प्रमाण–पत्र देय

नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक को ए के अंदर देना आवश्यक है ।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवश्य दी जाय, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ज आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के आलोक में 'खरवार' जाति के सदस्यों को अ जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो सके ।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप स

D:\backup\Dhar. Personnal\Sec- 11\11-vi -1-vividah-38-07.doc